

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, मेसर्स बी. एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक-तमनार, जिला रायगढ़ को देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वनमंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा उचित कार्यवाही हेतु की जाती है।

Date : 02 -11-2022

Place : Raipur

Name

Designation -

Signature



(Manoj Kumar Pingua)

Principal Secretary
Government of Chhattisgarh

- Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya, Raipur

Principal Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-19/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04-11-
/10/2022

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय :- आवेदनकर्ता, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि., द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अन्तर्गत laying of water Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant हेतु रकबा 0.144 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-916/2102, दिनांक 14.09.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है । जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक—तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वनमंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है ।	1
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) — वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्र— FP/CG/Pipeline/151253/2022 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दि. 03.02.2022 के आधार पर की जाती है । पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रुपये कुल 35,000 रुपये जमा कराया गया है ।	2
3	वन क्षेत्र का विवरण — प्रकरण में रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वनमंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है ।	3
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्तावित देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता नहीं है ।	4
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर — प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है ।	5
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप — वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है ।	6

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव - प्रपत्र-4 में प्रस्तावित देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के परियोजना हेतु प्रशासकीय लागत 25.00 लाख रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है।	7-12
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वनमंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है। यह प्रस्ताव 0.144 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन का है जो कि मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला के नैसर्गिक स्रोत से पानी ले जाने हेतु लगभग 1.00 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु है। उक्त पानी का उपयोग निकट में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट में किया जावेगा। विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।	13-15
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए जो भी राशि वन विभाग द्वारा मांग की जायेगी, जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	16
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ के पास स्थापित स्पंज आयरन प्लांट हेतु देवनमुण्डा नाला के नैसर्गिक स्रोत से पानी ले जाने हेतु बिछाये जाने वाले पाइप लाइन हेतु मांग की गई वन भूमि आवश्यकतानुसार न्यूनतम है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	17
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र - प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	18
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) - आवेदित क्षेत्र में रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 36 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	19-24 सी
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस -परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।	25
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)-राजस्व वन क्षेत्र- गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है, ऐसा वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।	26
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है, ऐसा वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।	27
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना - आवेदित वन भूमि 0.144 हे. के एवज में आवेदित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए विदोहित किये जाने वाले 36 वृक्षों के दस गुना कुल 360 पौधे लगाने हेतु जो भी राशि वन विभाग द्वारा मांग की जायेगी, आवेदक संस्था मेसर्स बी. एस. स्पंज प्रा. लि. रायगढ़ द्वारा जमा किया जावेगा।	28, 44-67

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित परिक्षेत्र तमनार के तराईमाल के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 833 में रकबा 0.350 हे. में वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 46 में संलग्न है।	29
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	30
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण– वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	31
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	32
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. स्पंज आयरन प्लांट हेतु देवनमुण्डा नाला से पानी ले जाने हेतु पाइप लाईन बिछाने के प्रस्ताव में 1.00 हे. से कम वन भूमि (0.144 हे.) की मांग है। इसमें केवल 36 वृक्षों के विदोहन का प्रस्ताव है, अतः इसमें प्रकरण में केवल 360 पौधे लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	33
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	34
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	35
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	36
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	37
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा दिनांक 13.06.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.06.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	43 ए – 43 बी एवं 68
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी रायगढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है।	71
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम जमडबरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	73 – 75
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल की कुल अधिसूचित वन भूमि 324301.500 हे. है।	76
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 3415.652 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	77, 77ए, 77बी

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के 04 प्रकरण रकबा 1.917 में वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।	78
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	79
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	80
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2022 को जारी किया गया है।	82-86
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	87
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	88
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	89
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल के कथन अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक नहीं है।	90
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।	91
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	92
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – बिन्दु क्रमांक -2 पर विवरण दिया गया है।	93
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	94
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – लागू नहीं।	95
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।	96

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: - प्रस्ताव 1 प्रति में।

Reginal
(के.पी.राजपूत) 3.11.22

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04-11-2022

पृ.क्रमांक एफ-5-19/2022/10-2

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. General Manager Administration, B.S. Sponge Pvt. Ltd., Village Taramal, Post Office Gerwani, District Raigarh, Chhattisgarh. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Reginal

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

02